

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर.....

(शिविर स्थान..... बिसलाई.....)

आदेश

दिनांक..... 6/6/23

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी..... बिसलाई खानसूरी.....

...व भू.अ.नि..... मोरघ.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार..... हो. 105.....

नायब तहसीलदार.....की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम..... बिसलाई.....तहसील..... हो. 105.....व

जिला.....की जमाबन्दी सम्वत्..... 203-71.....में खाता संख्या..... 200.....

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 1 | <u>खानसूरी</u> | <u>200</u> | <u>पांच्या पुम मंगला</u> | <u>पांचु लपल पुम मंगला</u> |

.....
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार..... डि. 204.....को भेजकर लेखा है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

दिनांक :-

.....
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर